No. 27 7823971869 Placement ①

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) नगरीय जिला भोपाल

(नवीन पुलिस आयुक्त कार्यालय जहाँगीराबाद जिला भोपाल)

—:: आदेश ::—

आवेदक मनु सिंह पिता स्व.श्री दिनेश सिंह कार्यवाहक सउनि जिला भोपाल को आरक्षक (जी.डी) संवर्ग के रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति छटवे वेतनमान में रूपये 5200–20200+रूपये 1900 ग्रेड पे (7वे वेतनमान मे निर्धारित मेट्रिक्स 19500–62000) एवं समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों आदि तथा अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है।

आवेदक	मनु सिंह
पिता का नाम	स्व.श्री दिनेश सिंह कार्यवाहक सउनि जिला भोपाल
बर्तमान पता	एच–4 पुरानी पुलिस लाईन शाहजहाँनाबाद भोपाल
जन्म दिनांक	11.08.2004
जाति	सामान्य
गृह जिला	जिला सतना

2. म0प्र0 शासकीय सेवा अस्थाई/अर्द्ध शासकीय नियम 1960 के अंतर्गत नियम–12–ए के अनुसार किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी, एक माह के नोटिस दिये बिना शासकीय पद छोडने पर उसे एक माह का वेतन तथा भत्ते की राशि नकद जमा करना होगी, अन्यथा यह राशि उसके भू–राजस्व के बकाया राशि की भांति वसूल की जावेगी।

3. मध्यप्रदेश शासन कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन कमांक सा –3/82/821/49 दिनांक 27.02.1988 के अनुसार यदि आवेदक द्वारा उसकी अनु.जाति/अनु. जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी गलत पाई गई तो वह बिना किसी पूर्व के सूचना के सेवा पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

4. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग से ज्ञापन क्रमांक एफ–7/6/93–12/आर. प्रको. दिनाक 08.03.94 द्वारा प्रसारित रोस्टर नियमों का पालन किया गया है।

5. आवेदक की नियुक्ति इस सशर्त पर की जाती है कि यदि उनके चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में आपराधिक प्रकरण होने से पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र कमांकः–पुमु/2/चयन/स. 5/फा.क.(01)/403/2022 दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से पुलिस सेवा के योग्य पाया गया है एंव मेडिकल जॉच एंव अन्य प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाये गये या अन्य कोई कारण जो शासकीय सेवा के लिये बाधक हो तो तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया जायगा इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही होगा।

6. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ.–9/3/2003/नियम 4 दिनांक 12. 04.2005 एंव कमांक–एफ9/डी/2003/नियम 4 दिनांक 02.07.2005 के अनुसार दिनांक 01. 01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अशंदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

7. आवेदक के दो से अधिक जीवित बच्चे होने का प्रमाण मिलता है जिनमें किसी एक का जन्म 26.01.2001 या उसके पश्चात हो तो नियुक्ति का पत्र नही होगा उसकी सेवायें समाप्त समझी जावेंगी। तथा आवेदन पत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal

8. नियुक्त किये गये आवेदक को नियुक्त किये गये पद के संबंध में 04 वर्ष के अंदर बुनियादी प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा समय–समय पर निर्देशित अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने होगे तत्पश्चात ही परिवीक्षा अवधि पूर्ण मानी जाकर स्थायी नियुक्ति की जाएगी।

9. आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से सात दिवस के अंदर आमद दे अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है।

10. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक–सी.3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु(ब) अनुसार परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एंव तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, स्टायफंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

11. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र/सी 3–12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 के नियम 2.7 के अनुसार मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री का पालन–पोषण करना अनिवार्य होगा यदि आवेदक द्वारा मृतक शासकीय सेवक के आश्रितों का पालन–पोषण नहीं किये जाने पर आवेदक की सेवा समाप्त करने का अधिकार पुलिस विभाग को होगा।

(विनीत कपूर)
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
नगरीय पुलिस भोपाल

कमांक/पु.उपा/भो/मुख्या/स्था/अनु.नियु.1071/2023 भोपाल दिनांक 04/07/2023

प्रतिलिपिः–कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अति0 पुलिस महानिदेशक प्रशासन पुमु भोपाल की ओर कृपया सादर सूचनार्थ।
2– अति0 पुलिस महानिदेशक योजना पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
3– अति0 पुलिस महानिदेशक चयन एंव भर्ती पुलिस मुख्यालय भोपाल ओर कृपया सूचनार्थ।
4– पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
5– स्टॉफ आफिसर, पुलिस आयुक्त भोपाल।
6– सहायक पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक/अजाक पुलिस मुख्यालय भोपाल।
7– सहायक पुलिस आयुक्त, लाईन नगरीय पुलिस भोपाल।
8– रक्षित निरीक्षक भोपाल वास्ते ओ0बी0/रक्षित निरीक्षक र0के0 भोपाल की ओर लेख है कि संबंधित की आमद उपरांत प्राण नम्बर फार्म/नामांकन फार्म भरवाया जाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
9– मु0लि0/आं.वेतन,बजट,बीमा/वेतन लि–2/समस्त स्टेनो/मकिलि/फण्ड/अव./पेंशनलि डी.सी.पी कार्यालय नगरीय पुलिस भोपाल भोपाल ।
10– प्रभारी से0पु0लि0 डी.सी.पी कार्यालय नगरीय पुलिस भोपाल की ओर मूलः नस्ती सहपत्रों सहित संलग्न, सेवा पुस्तिका तैयार करने हेतु।
11– मनु सिंह पिता स्व.श्री दिनेश सिंह कार्यवाहक सउनि जिला भोपाल निवासी–एच–4 पुरानी पुलिस लाईन शाहजहॉनाबाद भोपाल (द्वारा–रक्षित निरीक्षक रक्षित केन्द्र भोपाल, आदेश प्राप्ति के बाद तत्काल कार्यभार ग्रहण करने हेतु पाबंद करे)

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal

(विनीत कपूर)
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)